

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 75 of 2025

IN THE MATTER OF:

Akhilesh Kumar

...Applicant

Versus

Director Collector, Mahoba & Ors.,

.... Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Affidavit on Behalf of the Respondent No. 4 Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-3
2	ANNEXURE R4/1: A true copy of the letter dated 30.01.2026	4
3.	ANNEXURE R4/2: A true copy of the letter dated 03.02.2026	5-8
4	ANNEXURE R4/3: A true copy of the license dated 15.06.2016	9

**Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 4**

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the UPPCB


Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 07.02.2026



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 75 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Akhilesh Kumar

...Applicant

Versus

District Collector, Mahoba & Ors.

...Respondents

AFFIDAVITON BEHALF OF THE RESPONDENT
NO.4,UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Madhavi Kamalvanshi, aged about 55 years, W/o Dr. Arvind Kumar presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Banda, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the present matter was taken up on 21.11.2025, upon considering the matter this vide its order this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction:

"...5. It has also not been disclosed if any enquiry was conducted to find out the misuse of the explosive by the respondent no.5 on the basis of the explosive license issued by respondent no.3. If the explosive has been misused, it is a serious issue, therefore, the requisite enquiry ought to have been conducted to find out the nature and extent of misuse and the action in



[Handwritten signature]

accordance with law was required, if the explosive has been misused.

6. *In such circumstances, we direct the respondent no.3 to 5 to file a further action report within 04 weeks..."*

3. That in compliance to the above direction the UPPCB has vide its letter no.913/N.G.T. O.A. No.75/25/26 dated 30.01.2026 requested to the Mining Officer, Mahoba to provide the latest/current status of mining lease in question, i.e. Respondent No. 5, M/s Jai Maa Chandrika Enterprises, Rajendra Nagar, Village Kabari, District Mahoba, Uttar Pradesh as well as to carry out the joint inspection of the site in question.

A true copy of the letter dated 30.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/1**.

4. That in reply to the above-mentioned letter the Senior Mining Officer, Mahoba vide its letter no.-1616/M.M.C.-30-Khanij/2025-26 dated 03.02.2026 has informed that the validity of mining lease in favour of the Respondent No. 5 was from 24.05.2001 to 23.05.2011 and presently no mining lease has been approved for the said area.

A true copy of the letter dated 03.02.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/2**.



5. That the inspection of the said mining lease in question has been carried out by the joint committee comprising the UPPCB and Mining Inspector, Mahoba on 27.08.2025 wherein a Civil Structure was found at the side but in the said structure no explosive or other material was found

[Handwritten signature]

stored and a farmer Shri Ali, R/o Village-Leta, Tehsil-Kulpahar, District-Mahoba was found present who informed that no mining, storage of explosive material and blasting work is being done at the said mining lease in question.

6. That no Consent to Operate (CTO) was ever issued by the UPPCB in favour of Respondent No. 5 under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended.
7. The Project Proponent was issued license by the office of Joint Chief Controller of Explosives, Central Circle office, Agra under Form P-3, (Sr. No. 3, Schedule I, Rule 35) of Ammonium Nitrate Rules, 2012.
- A true copy of the license dated 15.06.2016 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/3**.



DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Banda on this the 7th day of February, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



722/666
**SWORN
 BEFORE ME**
 @ 7/2/26
**C.B. GUPTA
 NOTARY BANDA**

by Madhavi Kamalwanshi
 who has signed before me
 7/2/26

Annexure-1

दूरभाष-05192 297470

ई-मेल:- robanda@uppecb.in



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 913/N.G.T.D.A.S.75/25/26

दिनांक : 30/01/2026

सेवा में,

खनिज अधिकारी,
जनपद-महोबा।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, महोबा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, महोबा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....6. In such circumstances, we direct the respondent no.3 to 5 to file a further action report within 04 weeks.....”


उक्त आदेश के अनुपालन में मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा का तीन कार्य दिवस के भीतर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिससे की निरीक्षण आख्या एवं अन्य सूचनायें ससमय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया


(डॉ० माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी 30/1/2026

olc

Annexure-2

प्रेषक,

खान निरीक्षक,
महोबा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34 ए निकट, सन्त तुलसी पब्लिक स्कूल,
न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
बांदा।

पत्रांक:-1616/एम०एम०सी०-30/खनिज/2025-2026

दिनांक 03/02/2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 75/2025, अखिलेश कुमार बनाम डिस्ट्रक्ट कलेक्टर, महोबा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 913/N.G.T.D.A.S.75/25/26 दिनांक 30.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 75/2025, अखिलेश कुमार बनाम डिस्ट्रक्ट कलेक्टर, महोबा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या 576 ग्राम लेटा, तहसील-कुलपहाड़ जनपद महोबा का तीन कार्य दिवस के भीतर संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार खान सुरक्षा उपनिदेशक, गाजियाबाद के पत्र संख्या उपनिदेशक/गाजियाबाद क्षेत्र/1016 गाजियाबाद दिनांक 05.08.2024 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा खनन पट्टे की वैधता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1371/एम०एम०सी०-30-खनिज/2024-25 दिनांक 14.11.2024 द्वारा मेसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमारी के पक्ष में जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ स्थित ग्राम लेटा में गाटा संख्या 576 में स्वीकृत 1.821 हे० खण्ड/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा की वैधता दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक स्वीकृत था, के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी थी (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बांदा व खान निरीक्षक, महोबा की संयुक्त जाँच दिनांक 27.08.2025 द्वारा की गयी थी तथा कार्यालय के पत्र संख्या 755/एम०एम०सी०-30-खनिज/2025-26 दिनांक 23.08.2025 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना पुनः पूर्व सूचित पत्रों एवं जाँच की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

खान निरीक्षक,
महोबा।

पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया, महोबा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान निरीक्षक,
महोबा।

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
महोबा।

संशोधित

सेवा में,

खान सुरक्षा उपनिदेशक,
गजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

पत्रांक 1371

/एम0एम0सी0-30-खनिज/2024-25

दिनांक 14 / 11 / 2024

विषय:-

मेसर्स जय मों चन्द्रिका इण्टर प्राईजेज, प्रो० श्रीमति सुधा कुमारी के पक्ष में जनपद महोबा तहसील कुलपहाड़ के ग्राम लेटा में गाटा संख्या 576 में स्वीकृत 1.821 हे० खनन पट्टे की वैधता की जानकारी उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 828/एम0एम0सी0-30-खनिज/2024-25 दिनांक 27.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ स्थित ग्राम लेटा के गाटा संख्या 576 रकवा 4.50 एकड़ क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 यथासंशोधित 2021 के अध्याय-2 के अन्तर्गत इमारती पत्थर खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा (दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक) 10 वर्ष की अवधि हेतु श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी श्री केशव प्रसाद निवासी राजेन्द्र नगर कवरई जनपद महोबा के पक्ष में स्वीकृत रहा है, के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 27.08.2024 में खनन पट्टा की अवधि टंकण त्रुटिवश दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2021 टंकित हो गया था जिसे दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक पढ़ा व समझा जाये।

उपरोक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
महोबा।

पत्रांक व तददिनांक:-


प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
महोबा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा की निरीक्षण आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-466/ओ0ए0 संख्या-75/2025/25 दिनांक 23.08.2025 खनिज अधिकारी, जनपद-महोबा को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा का निरीक्षण संयुक्त रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बोंदा एवं खनिज विभाग, जनपद-महोबा द्वारा दिनांक 27.08.2025 को किया गया, जिसकी बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के समय खनन पट्टा संचालित नहीं पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



- निरीक्षण के समय किसान श्री अली, निवासी ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा उपस्थित मिले, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन स्थल पर खनन, विस्फोटक सामग्री का भण्डारण एवं विस्फोटन का कार्य नहीं किया जाता है।
- निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर एक सिविल संरचना (संलग्न फोटो में प्रदर्शित) पाया गया, जिसमें विस्फोटक अथवा अन्य सामग्री भण्डारित नहीं पायी गयी।
- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बोंदा द्वारा मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576, ग्राम-लेटा, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा को अनापत्ति सहमति जल/वायु निर्गत नहीं की गयी है।
- ज्येष्ठ खान अधिकारी, जनपद-महोबा के पत्र संख्या-755/एम0एम0सी0-30-खनिज/2025-26 दिनांक 23.08.2025 द्वारा प्रेषित उत्तर में अवगत कराया गया है कि 'मैसर्स जय मॉ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्रीमती शुधा कुमारी के पक्ष में जनपद-महोबा की तहसील-कुलपहाड़ स्थित ग्राम-लेटा, गाटा संख्या-576 में स्वीकृति-1.821 हे0 खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा की वैधता दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक स्वीकृत था, वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।'

अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बोंदा

खान निरीक्षक
खनिज विभाग,
जनपद-महोबा

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बांदा।

पत्रांक 755 / एम०एम०सी०-30-खनिज/2025-26

दिनांक 23/08/2025

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-75/2025 अखिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-445/ओ०ए० संख्या-75/2025/25 दिनांक 14.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जनपद महोबा (ग्राम लेटा) मेसर्स जय माँ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज, गाटा संख्या-576 ग्राम लेटा तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा पर पूर्व में की गयी कार्यवाही की सूचनायें समस्त संलग्नकों सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार खान सुरक्षा उपनिदेशक, गाजियाबाद, गाजियाबाद के पत्र संख्या-उपनिदेशक/गाजियाबाद क्षेत्र/1016 गाजियाबाद दिनांक 05.08.2024 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा खनन पट्टे की वैधता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1371/एम०एम०सी०-30-खनिज/2024-25 दिनांक 14.11.2024 द्वारा मेसर्स जय माँ चन्द्रिका इण्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती सुधा कुमारी के पक्ष में जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ स्थित ग्राम-लेटा में गाटा संख्या-576 में स्वीकृत 1.821 हे० खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा की वैधता दिनांक 24.05.2001 से दिनांक 23.05.2011 तक स्वीकृत था, के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी थी (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

ज्येष्ठ खान अधिकारी
महोबा।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्येष्ठ खान अधिकारी
महोबा।

www.mahababoard.org.in



Mahoba SO (210427)
M. No: 446852391N, IVN No: 180026668
26/08/2025 10:37:37. Counter No. 2
To: KSHETRIY ADIKARI
Mahoba NO, UTTAR PRADESH - 210001
From: KHAN ADIKARI-210427
Buss Amt: 22.00,
M. 110 (Actual) per
K. Mukh: Cash,

Annexure- 3

अनुज्ञापिका-3
(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 1 की क्रम संख्या-3 और नियम 35 देखें)

9

LICENCE FORM P-3
(See Sr.No.-3 of Schedule I and rule 35
of Ammonium Nitrate Rules,2012)

विस्फोटक विनिर्माण इकाई (एएनएफओ) से जुड़े गोदाम से, अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए, रखने हेतु अनुज्ञापिका
Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing unit (ANFO)



अनुज्ञापिका संख्या | Licence No. : A/CC/UP/P3/2(A1418)
वार्षिक अनुज्ञापिका शुल्क | Annual licence Fee Rs: 1000/-

अनुज्ञापिका एतद्वारा जारी की जाती है :
Licence is hereby granted to :

M/s Jai Maa Chandrika Enterprises Prop. Smt. Sudha Kumari (अधिष्ठाता : Smt Sudha Kumari)
Rajendra Nagar, Post - Karbai,
शहर 1 गाँव - Karbai
जिला- MAHOBA, राज्य- Uttar Pradesh, पिन कोड - 210424
Phone -, Email-, फेक्स-

1. अनुज्ञापिकाधारी का स्तर: Proprietorship Firm
Status of licence holder: Proprietorship Firm
2. अनुज्ञापिका केवल निम्नलिखित प्रयोजन हेतु वैध है : विस्फोटक विनिर्माण इकाई (एएनएफओ) से जुड़े गोदाम से, अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए, रखने हेतु अनुज्ञापिका
Licence is valid only for the following purpose : Licence to possess for use of Ammonium Nitrate from a store house attached to explosives manufacturing unit (ANFO)
3. अनुज्ञापिका अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा के लिए वैध है :
Licence is valid for the following quantity of Ammonium Nitrate:

नाम तथा विवरण Name and Description	किसी एक समय में मात्रा (कि.ग्रा.) Quantity at a time (Kg.)	किसी एक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा(कि.ग्रा.) Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a financial Year (Kg.)
Ammonium Nitrate (Solid)	200000	7200000

4. अनुज्ञापित परिसर निम्नलिखित आरेखण(ओं) के अनुरूप होगा
The licensed premises shall conform to the following drawing(s):
आरेखण संख्या | Drawing No : A/CC/UP/P3/2 (A1418) दिनांक | Dated : 15/06/2016
5. अनुज्ञापित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :
The Licensed premises are situated at following address:
Survey No. 552 & 553/1, शहर/गाँव | Town/Village : Leta, Tehsil - Kulpahar
पुलिस स्टेशन | Police Station : Panwadi बिला | District : MAHOBA राज्य | State : Uttar Pradesh
पिन कोड | PinCode : फोन | Phone : ईमेल | E-Mail : फेक्स | Fax :
6. अनुज्ञापित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं :
The licensed premises consist of following facilities:
Consist of one store bnuse .
7. अनुज्ञापिका, समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है
(i) उपरोक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हैं)।
(ii) अनुज्ञापिका जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञापिका की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें।

The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under and the conditions, additional conditions and Annexures.

- (i) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial No. 5 above.
- (ii) Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the license issuing authority.

8. यह अनुज्ञापिका 31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी।
This licence shall remain valid till 31st day of March 2021

यह अनुज्ञापिका विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुज्ञापिका की किसी शर्तों का उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञापित परिसर, आरेखण और उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निरस्त या प्रतिलिखित की जा सकती है।

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2012 framed there under or the conditions of this licence, if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

दिनांक | Date: 15/06/2016

Sd/-
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Joint Chief Controller of Explosives
मध्यांचल, आगरा | Central Circle office, Agra

Transfers :

- Change in Licensee Name/Address/Status dated : 14/07/2016

अनुज्ञापिका नवीकरण के लिए पृष्ठांकन : | Endorsement for renewal of licence:

नवीकरण की तारीख Date of Renewal	समाप्ति की तारीख Date of Expiry	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर Signature of licensing authority
06/01/2025	31/03/2030	Jt. Chief Controller of Explosives, Central Circle, Agra

सांविधिक चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट कानून का दुरुपयोग कानूनी तौर पर गंभीर दण्डनीय अपराध है।
Statutory Warning : Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.

